



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिपक्ष से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]
No. 355]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1988/आषाढ़ 15, 1910
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1988/ASADHA 15, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त संवालय

(राजपत्र विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1988

प्रदेश

नं. प्र. 678 (घ).—केंद्रीय सरकार, स्थापक प्रोविसो और नवः प्रकाशित पत्रार्थ अथवा प्रकाशित निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 7) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के प्रवर सचिव, नवः प्रो. श्री. श्री. कुमार और के. जे. राजू की उक्त धारा के प्रकाशनों के लिए विशेष रूप से संकलित करती है।

[फा. नं. 773/5/88 सी. गै. VIII]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th July, 1988

ORDERS

S.O. 678 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 (7 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Sarvashri B. V. Kumar and K. J. Raman, Additional Secretaries to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771/5/88-CUS.VIII]

सा.सं. 678 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, न्यायिक अधिकारों और नव-प्रकाशी पदार्थों के निषेध व्यापार निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 7) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री के.एन. वर्मा को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करता है।

[फा.सं. 771/5/88-सं.सू. VIII]

एन.के. चौधरी, अवर सचिव

S.O. 679 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 (7 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri K. L. Verma, Joint Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771/5/88-CUS.VIII]

S. K. CHOWDHRY, Under Secy.